उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या: 12/2026/2026-160(ए)/35-1-2026
लखनऊ: दिनांक: 10 मार्च, 2026

## कार्यालय-ज्ञाप

मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ में निदेशक का 01 अस्थायी पद, मूल्यांकन अधिकारियों के 05 अस्थायी पद एवं अपर सांख्यिकीय अधिकारी का 01 अस्थायी पद, जो निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों द्वारा सृजित किये गये थे, की निरंतरता की स्वीकृति शासनादेश संख्या-46/2025-113/35-1-2025-5/3(2)/85, दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक की अवधि हेतु प्रदान की गई थी।

2. निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 द्वारा अपने पत्र संख्या-1188/I-184/मू0प्र0, दिनांक 05.02.2026 के माध्यम से उपरोक्तानुसार सृजित निदेशक के 01 अस्थायी पद, मूल्यांकन अधिकारियों के 05 अस्थायी पदों तथा अपर सांख्यिकीय अधिकारी के 01 अस्थायी पद की निरन्तरता दिनांक 01.03.2026 से 28.02.2027 तक जारी कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि उक्त पदों पर पदोन्नति करायी जा सके।

3. अतः निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त अनुरोध के क्रम में प्रकरण की समयशीलता के दृष्टिगत निदेशक के 01 अस्थायी पद, मूल्यांकन अधिकारी के पदोन्नति के 05 अस्थायी पद एवं अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पदोन्नति के 01 अस्थाई पद की निरन्तरता वित्तीय वर्ष 2026-2027 में दिनांक 01 मार्च, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक (यदि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जायं), निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदों के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित वेतनमान में पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निरन्तरता बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

| क्र0 सं0 | पदनाम | पदों की संख्या | वेतनबैण्ड (रू0) | पद सृजन का शासनादेश | शासनादेश संख्या जिससे पदों की अवधि गत वर्ष बढ़ायी गयी। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1- | निदेशक | 01 | सीनियर आई0ए0एस0 स्केल | सं0-1596/एस-277/मू0प्र0 दिनांक 18.09.1978 | संख्या-46/2025-113/35-1-2025-5/3(2)/85, दिनांक 29 मार्च, 2025 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2- | मूल्यांकन अधिकारी | 05 | रू0-15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0-5400/-, लेवल-10 | (1) सं0-6975/एक-385-मू0प्र0, दिनांक 30.03.84 (तीन पद)<br>(2) सं0-2076/एक-418-मू0प्र0, दिनांक 09.09.85 (दो पद)<br>(3) सं0-यू0ओ0-03/35-1-86-नियो0-1, दिनांक 05.03.86 (दो पद)<br>नोट:- उ0प्र0 पुनर्गठनन समन्वय अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-345/28-1-2004, दिनांक 06 फरवरी, 2004 के अनुसार मूल्यांकन अधिकारी के 02 अस्थाई पद उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित किये गये हैं। | संख्या-46/2025-113/35-1-2025-5/3(2)/85, दिनांक 29 मार्च, 2025 |
| 3. | अपर सांख्यिकीय अधिकारी | 01 | रू0-9300-34,800 ग्रेड वेतन रू0-4600, लेवल-7 | सं0-यू0ओ0-03/35-1-86-नियो0-1, दिनांक 05.03.86 (एक पद) | संख्या-46/2025-113/35-1-2025-5/3(2)/85, दिनांक 29 मार्च, 2025 |

4. इन पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

6. उपरोक्त से संबंधित व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय-05 राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

शैलेश कुमार तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 12/2026/2026-160(ए) (1)/35-1-2026-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार,प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1188/I-184/मू0प्र0, दिनांक 05 फरवरी, 2026 के क्रम में ।

(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

(6) सम्बन्धित पत्रावली।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेश कुमार तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।